जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक जविप्रा/अधि.अभि.9/2022—23/डी—796 दिनांक : 01—10—2022

Corrigendum

निदेशक अभियान्त्रिकी—प्रथम जविप्रा जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक डी—324 दिनाक 28.09.2022 के क्रम में निविदा में निम्न शर्त का अंकन किया जाता है:—

समस्त संवेदको को दिनांक 31.12.2022 तक प्रथम पुनर्विलोकन हेतु आवेदन करना होगा. दिनांक 31.12.2022 के पश्चात बिना पुनर्विलोकन (Review) वाले संवेदक निविदा में भाग नही लें सकेंगें। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद नियतकालीन (Periodical) पुनर्विलोकन (Review) हेतु भी रिव्यू तिथि से 3 माह तक आवेदन करना होगा रिव्यू तिथि से 3 माह पश्चात बिना पुनर्विलोकन (Review) वाले संवेदक निविदा में भाग नहीं लें सकेंगें।

निविदा की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(तरूण सिंघल)
अधिशाषी अभियन्ता—9
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा / निदे. अभि–प्रथम / 2022–23 / डी– 325 दिनांक 28/09/2022

कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण मे विकास कार्यो हेतु संवेदकों के विभिन्न संवर्ग की विभिन्न श्रेणियों के स्थायी पंजीयकों के रिव्यू के सम्बन्ध में पूर्व प्रसारित आदेश दिनाक 16.02.2015, 22.06.2020, 17.12.2020 एवं 04.06.2021 मे संशोधन कर निम्नानुसार आदेश प्रस्तारित किये जाते है।

क्र.सं.	पूर्व नियम	संशोधित नियम
1	5 वर्षो मे पंजीकृत फर्म द्वारा न्यूनतम 1 कार्य सम्पादित किया जाना आवश्यक होगा। 5 वर्षो मे फर्म द्वारा एक भी कार्य नही करने पर विभिन्न प्रवर्गों व श्रेणियो मे पजीकृत ठेकेदारो को एक श्रेणी नीचे पदावनत (Demote) कर दिया जाएगा तथा विभिन्न प्रवर्गो की न्यूनतम श्रेणी में पंजीकृत फर्म का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। जिन पंजीयनों का 5 वर्ष का समय 30.09.2021 तक पूर्ण हो जावेगा का प्रथम रिव्यू उपरोक्तानुसार किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	5 वर्षो मे पंजीकृत फर्म द्वारा न्यूनतम 1 कार्य सम्पादित किया जाना आवश्यक होगा। 5 वर्षो मे फर्म द्वारा एक भी कार्य नहीं करने पर विभिन्न प्रवर्गों व श्रेणियों में पजीकृत ठेकेदारो को एक श्रेणी नीचे पदावनत (Demote) कर दिया जाएगा तथा विभिन्न प्रवर्गों की न्यूनतम श्रेणी में पंजीकृत फर्म का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। जिन पंजीयनों का 5 वर्ष का समय 30.09.2021 तक पूर्ण हो जावेगा का प्रथम रिव्यू उपरोक्तानुसार किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (A) पंजीकृत फर्म के पंजीयन का पुनर्विलोकन (Review) पुनः 5 वर्ष बाद नियतकालीन (Periodical) किया जाएगा। (B) कोविड–19 के कारण संवेदक द्वारा किया गया कार्य दिनांक 01.04.2015 से 29.09.2021 तक मान्य होगा। चूंकि कोविड–19 का प्रभाव पोस्ट कोविड भी रहा है अतः जिन संवेदको ने दिनांक 01.04.2015 से 30.09.2021 तक कोई कार्य नहीं किया है उन्हे दिनांक 31.12.2022 तक की छूट दी जाती है यदि उक्त अवधि में भी कोई कार्य नही करते है तो उन्हें एक Category नीचे पदावनत (Demote) तथा न्यूनतम श्रेणी में पजीकृत फर्म का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। समस्त संवेदकों को दिनांक 31.12.2022 तक प्रथम पुनर्विलोकन हेतु आवेदन करना होगा, दिनांक 31.12.2022 के पश्चात् बिना पुनर्विलोकन (Review) वाले संवेदक निविदा मे भाग नही ले सकेगें साथ ही प्रथम पुनर्विलोकन (Review) हेतु आवेदन करने की तिथि 31.12.2022 से 6 माह तक आवेदन नहीं करने पर एक Category नीचे पदावनत (Demote) तथा न्यूनतम श्रेणी मे पंजीकृत फर्म का पंजीयन निरस्त किया जायेगा। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद नियतकालीन (Periodical) पुनर्विलोकन (Review) हेतु भी रिव्यू तिथि से 3 माह तक आवेदन करना होगा रिव्यू तिथि से 3 माह के पश्चात् बिना पुनर्विलोकन (Review) वाले संवेदक निविदा मे भाग नही ले सकेगें एवं रिव्यू तिथि से 6 माह तक भी आवेदन नही करने पर एक Category नीचे पदावनत (Demote) तथा न्यूनतम श्रेणी मे पंजीकृत फर्म का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। (C) संवेदक द्वारा राजस्थान या भारत के परिक्षेत्र मे किसी भी राज्य मे किया हुआ WIP/पूर्ण कार्य पुनर्विलोकन (Review) हेतु मान्य होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से पुष्ट है।

निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम
जविप्रा, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा / निदे. अभि–प्रथम / 2022–23 / डी– 324 दिनांक 28/09/2022

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम / द्वितीय जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (वित्त), जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं प्रभारी अधिकारी, अभियांत्रिकी–III / IV, जविप्रा, जयपुर।
6. वनसंरक्षक जविप्रा, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता जविप्रा, जयपुर।
8. समस्त अधीक्षण अभियंता जविप्रा, जयपुर।
9. ओ.एस.डी. (आर.एम.) जविप्रा, जयपुर।
10. अति. निदेशक (राजस्व) / मुख्य लेखाधिकारी (पीएण्डए) / उप निदेशक (व्यय एवं बजट) जविप्रा, जयपुर।
11. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट) जविप्रा, जयपुर।
12. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करने का श्रम करें।
13. वरिष्ठ उद्यानविज्ञ जविप्रा, जयपुर।
14. समस्त अधिशाषी अभियंता जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि भविष्य में आमंत्रित निविदाओं में निम्न शर्त का अंकन करें :–

    समस्त संवेदकों को दिनांक 31.12.2022 तक प्रथम पुनर्विलोकन हेतु आवेदन करना होगा, दिनांक 31.12.2022 के पश्चात् बिना पुनर्विलोकन (Review) वाले संवेदक निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद नियतकालीन (Periodical) पुनर्विलोकन (Review) हेतु भी रिव्यू तिथि से 3 माह तक आवेदन करना होगा रिव्यू तिथि से 3 माह के पश्चात् बिना पुनर्विलोकन (Review) वाले संवेदक निविदा में भाग नहीं ले सकेंगें।
15. सिस्टम एनालिस्ट जविप्रा, जयपुर।
16. समस्त ठेकेदार एसोसिएशन जविप्रा, जयपुर।
17. नोटिस बोर्ड जविप्रा, जयपुर।
18. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियंता एवं
तक. सहा. निदे. अभि–प्रथम
जविप्रा, जयपुर

Order